

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०-08/ज०सं०(नि०) राँची-03-07/2017/राँची, दिनांक

आदेश

श्री अरुण कुमार (ID- 3239), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, गुण-नियंत्रण प्रमण्डल सं०-01, मेदिनीनगर के विरुद्ध कतिपय अनियमितता के मामले में झारखण्ड सरकारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम-16 एवं 17 के अन्तर्गत विभागीय संकल्प सं०-2436 दिनांक- 04.06.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

2. श्री अरुण कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता के दिनांक- 31.07.2018 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही को पेंशन नियमावली के नियम-43बी० अन्तर्गत सम्परिवर्तित किया जाता है।

3. विभागीय कार्यवाही के शीघ्र निष्पादन के लिए प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि विभागीय कार्यवाही ससमय पूर्ण कराने में सहयोग करें।

4. उक्त संकल्प की शेष कंडिकायें यथावत् रहेगीं।

5. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :राँची/दिनांक

प्रतिलिपि :- श्री ददन चौबे (से०नि०, झा०प्र०से०) टी०ए०बिल्डिंग, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची/श्री विश्वनाथ प्रसाद ताँती, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/श्री अरुण कुमार (ID-3239), सेवानिवृत्त, कार्यपालक अभियंता, फ्लैट एफ०/टी०एफ०, स्वागतम अपार्टमेंट, शुक्ला कॉलोनी हिनू, राँची-834002 को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 4164राँची/दिनांक 01/10/18

प्रतिलिपि :- उप सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव